

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4/2) विभाग

क्रमांक: प. 13(6)कार्मिक/क-4/2/14-पार्ट

जयपुर, दिनांक: 17 OCT 2019

परिपत्र:-

प्रायः देखा गया है कि राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किये जाने के उपरान्त संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर कार्यग्रहण नहीं किया जाता है या संबंधित विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाता है।

अतः परिपत्र के माध्यम से समस्त विभागों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमित रूप से कार्मिक विभाग की वेबसाईट का अवलोकन करें तथा स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना कर अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को हार्डकॉपी में तथा कम्प्यूटर सैल की मेल आईडी itcell.dop@rajasthan.gov.in पर सॉफ्ट कॉपी में भिजवाना सुनिश्चित करावें।

(आशीष नोदो)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक विभाग (कम्प्यूटर सैल) को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त विभाग /अधिकारीगण को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी